भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1403

मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप के लिए निधि

1403. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टार्टअप के लिए निधि (एफएफएस) के कम उपयोग का संज्ञान लिया है, जिसमें 2024 की शुरुआत तक प्रतिबद्ध 10,229 करोड़ रुपए में से केवल 4,552 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं और यदि हां, तो पूंजीगत सहायता की बढ़ती मांग के बावजूद वितरण में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या स्टार्टअप वित्तपोषण में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए भौगोलिक वितरण डेटा बनाए रखा जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक एफएफएस योजना के तहत ओडिशा के कितने स्टार्टअप को सहायता मिली है;

(ग) क्या ओडिशा जैसे राज्यों, विशेषकर खोरधा जैसे जिलों में एमएसएमई के बीच ई-कॉमर्स अपनाने में आने वाली बाधाओं का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ (ओडिशा और इसी तरह के क्षेत्रों में एमएसएमई द्वारा व्यापक ई कॉमर्स- भागीदारी को समर्थ करने के लिए, डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने, प्रशिक्षण प्रदान करने और संभार तंत्र सहायता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, स्टार्टअप्स के लिए उद्यम पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु स्टार्टअप्स हेतु निधियों का कोष (एफएफएस) की स्थापना की गई है। इसका संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) द्वारा किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो आगे स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं।

एआईएफ सामूहिक निवेश माध्यम हैं, जो निवेशकों/योगदानकर्ताओं से निधि

जुटाते हैं और अन्य के साथ-साथ, स्टार्टअप जैसी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। सेबी के विनियमों के अनुसार, एआईएफ प्रारंभिक चरण में एआईएफ की अवधि, जिसमें निधि जुटाने की अवधि और निवेश किए जाने की अवधि शामिल है, जैसे विवरण दर्शाते हैं। सामान्यतः, एआईएफ की अवधि लगभग 10 वर्ष होती है, जिसमें 2 वर्ष के विस्तार का प्रावधान होता है। एआईएफ की अवधि/समय-सीमा के शुरुआती 5-6 वर्ष अन्य स्रोतों से पूंजी/प्रतिबद्धताएं जुटाने और उसके बाद निवेश करने के लिए निर्धारित होते हैं।

एआईएफ निवेश के लिए स्टार्टअप्स का मूल्यांकन करते हैं और निवेश के अनुमोदित होने तथा समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बाद, एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में निवेश एक निश्चित अवधि के दौरान किस्तों में किया जाता है। **तदनुसार, एआईएफ निवेश के लिए एक निश्चित अवधि में एफएफएस सहित योगदानकर्ताओं से किस्तों में ही राशि प्राप्त भी करते हैं।** इसके बाद, एआईएफ की सहायता प्राप्त निवेश-प्राप्तकर्ता कंपनियों को निवेश से बाहर निकलने/बेचने से पहले उनका मार्गदर्शन किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है और परिपक्व बनाया जाता है पोषण और परिपक्वता प्रदान की जाती है।

इसलिए, जबकि एफएफएस के तहत एआईएफ के लिए प्रतिबद्धता पहले ही कर दी जाती है, ड्रॉडाउन एआईएफ द्वारा उस अवधि के दौरान मांग/निवेश के आधार पर होता है जब वह किस्तों में स्टार्टअप्स में निवेश करता है।

30 जून, 2025 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत एआईएफ को 9,994 करोड़ रुपए की निवल प्रतिबद्धताएं की गई हैं। इन प्रतिबद्धताओं में से 6,221 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।

(ख): सरकार, एफएफएस के अंतर्गत चयनित एआईएफ द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार डाटा रखती है और यह **अनुबंध-I** में संलग्न है। विशेष रूप से ओडिशा राज्य से, एफएफएस के अंतर्गत एआईएफ ने 30 जून, 2025 की स्थिति के अनुसार लगभग 35 करोड़ रुपए के निवेश से 7 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की है।

एफएफएस देशभर में, महानगरों से परे अन्य क्षेत्रों सहित, स्टार्टअप्स की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के लिए गुवाहाटी और जयपुर के एआईएफ, और अगरतला, जोरहाट, पटना, पुदुच्चेरी, पलक्कड़, शिवपुरी आदि के स्टार्टअप्स को इस स्कीम के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। विशेष रूप से ओडिशा राज्य से, कटक, खोरदा, राउरकेला और गंजम के स्टार्टअप्स को इस स्कीम के तहत सहायता प्रदान की जा रही है।

एफएफएस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देशभर में विभिन्न क्षमता निर्माण और सहायता, आउटरीच और जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, शिलांग, कोयंबटूर, जयपुर, कानपुर,

सूरत, रांची, पटना, लखनऊ, रुड़की, इंदौर, अहमदाबाद, जम्मू आदि स्थानों पर ऑनलाइन पिचिंग सत्रों, उद्यम पूंजी निधि संग्रहण और मार्गदर्शन कार्यशालाओं, पैनल चर्चाओं के साथ-साथ बूटकैंप आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, एफएफएस नए फंड मैनेजरों को सहायता प्रदान कर रहा है और उन्हें सहायत प्रदान करने हेतु गैर-महानगरीय स्थानों से स्टार्टअप्स की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

(ग) और (घ): एमएसएमई के बीच ई-कॉमर्स अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने ओडिशा राज्य सहित पूरे देश में डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने, प्रशिक्षण प्रदान करने और लॉजिस्टिक्स में सुधार जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। इन पहलों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1403 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एफएफएस के अंतर्गत चयनित एआईएफ द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एआईएफ द्वारा चयनित स्टार्टअप्स की संख्या	निवेशित राशि (करोड़ रुपए में)
कर्नाटक	396	7,348
महाराष्ट्र	265	5,606
दिल्ली	203	3,689
हरियाणा	102	2,056
तमिलनाडु	57	1,336
गुजरात	29	721
उत्तर प्रदेश	46	659
तेलंगाना	37	600
राजस्थान	27	365
केरल	21	321
मध्य प्रदेश	17	175
बिहार	4	163
पश्चिम बंगाल	15	140
गोवा	2	124
पंजाब	3	87
छत्तीसगढ़	3	54
जम्मू एवं कश्मीर	1	50
असम	21	41
आंध्र प्रदेश	2	36
ओडिशा	7	35
झारखंड	1	31
चंडीगढ़	3	17
उत्तराखंड	3	8
मणिपुर	6	6
पुदुच्चेरी	2	6
अरुणाचल प्रदेश	2	1
मेघालय	3	1
त्रिपुरा	2	1
नागालैंड	2	1
कुल	**1,282**	**23,679**

****

अनुबंध-II

दिनांक 29.07.2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1403 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सरकार ने डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए ओपेन नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) की शुरुआत की है।

ओडिशा राज्य सहित पूरे देश में ओपेन वाणिज्य के लिए समग्र सरकार आधारित दृष्टिकोण के तहत छोटे व्यवसायों हेतु बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। ये उपाय निम्नानुसार हैं:

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य विक्रेता नेटवर्क भागीदारों (एसएनपीएस) को ऑनबोर्डिंग, कैटलॉगिंग, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग सामग्री और डिज़ाइन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ओएनडीसी में ऑनबोर्डिंग के लिए सुविधा प्रदान करना है।

ii. ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म eSaras.in, ओएनडीसी पर लाइव है – जिसका संचालन दिल्ली-एनसीआर में एक सेंट्रल वेयरहाउस के माध्यम से होता है। ई-सरस को ओएनडीसी के साथ एकीकृत किया गया है और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए लगभग 800 से अधिक हस्तशिल्प उत्पाद अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचपी एसआरएलएम) के अंतर्गत हिमइरा ब्रांड भी नेटवर्क पर लाइव है, जो देशभर में ग्रामीण और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का प्रदर्शित करता है।

iii. कृषि मंत्रालय और लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ओएनडीसी नेटवर्क पर जोड़ने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में, 7000 से अधिक एफपीओ ओएनडीसी नेटवर्क पर लाइव हैं। इसके अतिरिक्त, एफपीओ और छोटे किसानों को एक व्यापक डिजिटल मार्केटप्लेस से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) को चरणबद्ध रूप से ओएनडीसी में एकीकृत किया जा रहा है।

ओएनडीसी लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है, जिससे विक्रेताओं को ऑनलाइन व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में मदद मिल रही है। भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के

सहयोग से विकसित डिजिटल रेडीनेस असेसमेंट टूल, एमएसएमई की डिजिटल क्षमताओं का आकलन और उनका संवर्धन करने में मदद करता है, ताकि उन्हें स्थायी डिजिटल कॉमर्स में भागीदारी करने के लिए तैयार किया जा सके।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, जैसे आधार, डिजीलॉकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, न्यू-एज गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), ई-साइन, ई-हॉस्पिटल, ई-संजीवनी, माईस्कीम, आरोग्य सेतु, आदि।

इसके अलावा, सरकार ने उच्च लॉजिस्टिक्स लागत के मुद्दे को हल करने और अवसंरचना में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे:

i. पीएम (प्रधानमंत्री) गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, जो मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स के लिए व्यापक और एकीकृत योजना को सक्षम बनाता है।

ii. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी), जिसका उद्देश्य लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से देश के आर्थिक विकास और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

iii. गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम।

****